न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–160/2014–15

श्रीमती कादम्बरी देवी

बनाम

श्री मुनब्बर अली आदि

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री पी0के0 गर्ग।

बावत

मौजा लालपुर, पट्टी सुखरौं,
तहसील कोटद्वार जनपद पौडी गढ़वाल।

निर्णय

यह निगरानी विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा अपील संख्या–20/2013–14 श्रीमती कादम्बरी देवी बनाम मुनब्बर अली आदि में पारित निर्णादेश दिनांक 22–04–2015 एवं सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार द्वारा वाद संख्या–15/2014 अन्तर्गत धारा–176 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम श्रीमती कादम्बरी देवी बनाम मुनब्बर अली आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 24–06–2014 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता श्रीमती कादम्बरी देवी ने वादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु एक वाद अन्तर्गत धारा–176 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार के न्यायालय में प्रस्तुत किया। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी द्वारा अपने निर्णयादेश दिनांक 22–05–2014 से प्रारम्भिक डिक्री एवं तत्पश्चात दिनांक 24–06–2014 को अन्तिम डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्व निगरानीकर्ता ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो निर्णयादेश दिनांक 22–04–2015 से निरस्त हुई। विद्वान अपर आयुक्त द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 22–04–2015 एवं सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार द्वारा पारित डिक्री/आदेश दिनांक 24–06–2014 के विरूद्व यह निगरानी योजित की गई है।

प्रतिउत्तरदाता संख्या–01 की ओर से तामीली के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं अवर न्यायालय के अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि गाटा संख्या–50क व 50ख कुल रकबा 0.6970 है0 के संक्रमणीय भूमिधर मूल कास्तकार निगरानीकर्ता के पिता मनवर सिंह थे जिन्होंने अपने जीवनकाल में अपनी उक्त भूमि पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 08–01–1996 से अपनी चारों पुत्रियों के नाम निष्पादित किया था। वसीयतनामा के अनुसार प्रत्येक को 3 बीघा भूमि श्रीमती शकुन्तला नेगी, 3 बीघा भूमि श्रीमती लीलावती नेगी, 3 बीघा भूमि श्रीमती शशि नेगी को दी गई तथा इस प्रकार कुल 09 बीघा भूमि अर्थात 0.5760 है0

भूमि अपनी तीन पुत्रियों को देकर बाकी बची हुई खाते की भूमि निगरानीकर्ता को दी और वसीयतकर्ता मनवर सिंह नेगी की मृत्यु के बाद वसीयत के अनुसार ही चारों पुत्रियां प्रश्नगत भूमि पर काबिज थीं। श्रीमती शुकन्ता नेगी, श्रीमती लीलावती एवं श्रीमती शशि नेगी ने अपनी 09 बीघा भूमि कुल रकबा 0.5760 है0 विपक्षी संख्या–01 श्री मुनब्बर अली को विक्रय कर दी। विक्रय के बाद विपक्षी मुनब्बर अली को विक्रय पत्र के अनुसार 0.5760 है0 भूमि पर अधिकार प्राप्त हुए और बाकी बची हुई भूमि वसीयत के अनुसार निगरानीकर्ता काबिज काश्त चली आ रही है। परीक्षण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता/वादी की आपत्तियों का निस्तारण विधि के प्राविधानों के अन्तर्गत नहीं किया गया तथा अपीलीय न्यायालय ने भी विधि में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया है। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जो कुर्रे तैयार किये गये वह स्थल के विपरीत तैयार किये गये, क्योंकि परीक्षण न्यायालय द्वारा जो कुर्रे दिये जाने थे वह 0.5760 है0 भूमि विपक्षी संख्या–1 का बनाकर बाकी बची हुई भूमि का कुर्रा वसीयत के अनुसार निगरानीकर्ता के पक्ष में बनाया जाना चाहिए था। परीक्षण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से कुर्रे स्वीकार किये गये जो त्रुटियुक्त हैं। निगरानी स्वीकार होने एवं अपीलीय न्यायालय का निर्णयादेश दिनांक 22–04–2015 तथा परीक्षण न्यायालय को आदेश/डिक्री दिनांक 24–06–2014 निरस्त होने योग्य हैं।

प्रकरण में यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता ने वादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु वाद सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार के समक्ष प्रस्तुत किया और इस वाद में दिनांक 22–05–2014 को प्रारम्भिक डिक्री एवं तत्पश्चात अन्तिम डिक्री दिनांक 24–06–2014 पारित की गई। सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश एवं डिक्री के विरूद्व निगरानीकर्ता ने विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो निर्णयादेश दिनांक 22–04–2015 से निरस्त हुई। सहायक कलेक्टर एवं विद्वान अपर आयुक्त द्वारा पारित निर्णयादेशों के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का मुख्य रूप से यह तर्क है कि विक्रय के पश्चात प्रतिउत्तरदाता संख्या–01 श्री मुनब्बर अली को 0.5760 है0 भूमि पर अधिकार प्राप्त हुए और शेष बची भूमि वसीयत के अनुसार निगरानीकर्ता के कब्जे काश्त में है जिसका कुर्रा निगरानीकर्ता के पक्ष में बनाया जाना चाहिए था। परीक्षण न्यायालय ने वसीयत के विपरीत कुर्रा बनाकर तथा अपीलीय न्यायालय ने गलत आधार पर अपील निरस्त कर विधिक त्रुटि की है। इस प्रकरण में मुख्य बिन्दु विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने यह उठाया है कि प्रतिउत्तरदाता द्वारा क्रय की गई 0.5760 है0 भूमि का कुर्रा प्रतिउत्तरदाता के पक्ष में एवं शेष बची भूमि का कुर्रा वसीयत के अनुसार निगरानीकर्ता श्रीमती कादम्बरी देवी के पक्ष में बनाया जाय। मैंने निगरानीकर्ता के पिता/वसीयतकर्ता श्री मनवर सिंह नेगी द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 08–01–96 का भी सम्यक अध्ययन किया जो विचारण न्यायालय की वाद पत्रावली के पृष्ठ ब–10 से 10/7 पर उपलब्ध है जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वसीयतनामा के अनुसार वसीयतकर्ता ने अपनी पुत्रियों श्रीमती शकुन्तला नेगी, श्रीमती लीलावती, श्रीमती शशि नेगी प्रत्येक को 03–03 बीघा भूमि एवं खाते में शेष बची भूमि अपनी पुत्री/निगरानीकर्ता श्रीमती कादम्बरी देवी को प्रदान की है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें वसीयत के अनुसार अपनी तीनों बहनों को प्रदान की गई भूमि के अतिरिक्त शेष समस्त भूमि प्राप्त हुई है। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्राप्त जाँच आख्या/स्पष्टीकरण दिनांक 16–11–2015 में भी यह उल्लेख किया गया है कि निगरानीकर्ता श्रीमती कादम्बरी देवी का 0.121 है0 भूमि के बजाय 0.129 है0 भूमि पर कब्जा है। प्रतिउत्तरदाता श्री मुनब्बर अली द्वारा खाते में कुल 0.5760है0 भूमि विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है अतः उनका अधिकार केवल खाते में विक्रय पत्र के अनुसार 0.5760 है0 भूमि पर ही बनता है शेष भूमि पर उनका कोई अधिकार नहीं है और शेष बची हुई भूमि वसीयत के अनुसार निगरानीकर्ता श्रीमती कादम्बरी देवी को

प्राप्त होना न्यायोचित है। विचारण न्यायालय एवं अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा भी इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि विचारण न्यायालय को तद्नुसार खाते की 0.5760 है0 भूमि का कुर्रा विपक्षी संख्या–01 श्री मुनब्बर अली का बनाकर खाते में शेष बची हुई भूमि का कुर्रा निगरानीकर्ता श्रीमती कादम्बरी देवी के नाम से बनाया जाना न्यायोचित है।

आदेश

निगरानी स्वीकार की जाती है एवं विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी का निर्णयादेश दिनांक 22–04–2015 तथा विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार द्वारा पारित निर्णयादेश/डिक्री दिनांक 22–05–2014 तथा 24–06–2014 निरस्त करते हुए प्रकरण विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वे तद्नुसार शेष बची हुई भूमि का कुर्रा निगरानीकर्ता/वादी श्रीमती कादम्बरी देवी के पक्ष में बनाया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रतिवादी संख्या–01 श्री मुनब्बर अली को भी निर्देशित किया जाता है कि वे विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई भूमि के अतिरिक्त शेष बची हुई भूमि पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 17.03.16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।